

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।

क्रमांक एफ-4 / मु / याता / लेखा(07) / 2021 / 1150

दिनांक - 28-4-2021


कार्यालय-आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के द्वारा दिनांक 05.06.2020 को पुलिस विभाग की विडियो कान्फ्रेंस में की गई घोषणा के क्रम में महानिदेशक, पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक क-15 (7) आ.एव क/विविध/रोडवेज पास/2008/4926-28 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार प्राप्त सहमति एवं संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) के पत्रांक एफ-2 (क) (8) गृह-2/2014 जयपुर दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में (राजस्थान राज्य सीमा तक) यात्रा सुविधा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1022 दिनांक 01.01.2021, आदेश क्रमांक 1034 दिनांक 8.01.2021, आदेश क्रमांक 1051 दिनांक 28.01.2021 एवं आदेश क्रमांक 1114 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान जयपुर के पत्रांक व.15(7) आ.एवक/विविध/रोडवेज पास/2008/110 दिनांक 11.1.2021 के क्रम में स्थित आठवी, न्यारवी, वारहवी, बटालियन आर.ए.सी. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आदि में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को अवकाश अवधि में मुख्यालय छोड़ने पर देहली से राजस्थान सीमा तक आने जाने की निशुल्क यात्रा सुविधा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(07)/2021/1051 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

उप महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान जयपुर के पत्रांक व.15(7) आ.एवक/विविध/रोडवेज पास/2008/2194 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(07)/2021/1051 दिनांक 28.01.2021 में उल्लेखित 'अवकाश अवधि' को विलोपित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। शेष नियम/शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।



(राजेश्वर सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ-4 / मु / याता / लेखा(07) / 2021 / 1150

दिनांक - 28-4-2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शारान सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
8. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त महा प्रबन्धक, / संयुक्त महा प्रबन्धक () राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
11. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर। उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी / बजट / टिकिट / अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर
12. उप महा प्रबन्धक (आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
13. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम.....
14. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क) / संचालन / () रा.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
15. सहा0 लेखाधिकारी, (टिकिट / अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
16. मुख्य प्रबन्धक, रा.प.नि आगार।

(51)
(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)